उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ
(बाल साहित्य सम्वर्द्धन योजना)
बाल साहित्य सम्मान नियमावली, 2015

1– यह नियमावली उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान बाल साहित्य सम्मान नियमावली, 2014 कहलायेगी।

2– यह नियमावली तुरन्त प्रभावी होगी।

3– यह नियमावली हिन्दी बाल साहित्य के अच्छे और स्तरीय ग्रन्थ लेखकों को प्रोत्साहित करने तथा दीर्घकालीन हिन्दी बाल साहित्य की सेवा के लिए साहित्यकारों/रचनाकारों को सम्मानित करने की योजना के सम्बन्ध में लागू होगी।

4– उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा बाल साहित्य सम्वर्द्धन योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष हिन्दी बाल साहित्य के रचनाकारों को वित्तीय संसाधनों के आधार पर सम्मान दिये जायेंगे।

5– बाल साहित्य सम्मान

बाल साहित्य की दीर्घकालीन/ आजीवन/ निरंतर साहित्यिक सेवा को देखते हुए निम्नवत् सम्मान दिये जायेंगे, जो प्रदेश स्तर के होंगे। प्रत्येक सम्मान की धनराशि रु0 51,000=00 अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित धनराशि होगी :–

1– सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान
2– सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान
3– निरंकार देव सेवक बाल साहित्य इतिहास लेखन सम्मान
4– अमृत लाल नागर बाल कथा साहित्य सम्मान
5– शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान
6– लल्ली प्रसाद पाण्डेय बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान
7– डॉ0 रामकुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान
8– कृष्ण विनायक फड़के बाल साहित्य समीक्षा सम्मान
9– जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान
10–उमाकान्त मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान

6– मापदण्ड

सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान, सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, निरंकार देव सेवक बाल साहित्य इतिहास लेखन सम्मान, अमृत लाल नागर बाल कथा सम्मान, शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान, लल्ली प्रसाद पाण्डेय बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान, डॉ0 रामकुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान, कृष्ण विनायक फड़के बाल साहित्य समीक्षा सम्मान, जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान, उमाकान्त मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान आदि के लिए बाल साहित्यकारों का चयन निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा :–

(क) हिन्दी भाषा में उत्कृष्ट प्रकाशित बाल साहित्य/कृतित्व।
(ख) ख्याति प्राप्त एवं जीवित, साहित्यकार।
(ग) उमाकान्त मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान हेतु साहित्यकार की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होगी।

7– चयन समिति / चयन प्रक्रिया

सम्मान के बारे में विचार विमर्श कर अन्तिम निर्णय लेने के लिए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की कार्यकारिणी समिति द्वारा पुरस्कार चयन समिति गठित की जायेगी। कार्यकारिणी समिति के अभाव में संस्थान के पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष चयन समिति का गठन करेंगे। पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष के न होने की दशा में निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान चयन समिति का गठन करेंगे। इस चयन समिति में ख्याति प्राप्त बाल साहित्यकार, बाल पत्रिका के सम्पादक, बाल साहित्य भारती सम्मान से सम्मानित साहित्यकार तथा बाल साहित्य की अन्य विधा / विषयों के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान सदस्य होंगे। निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान पुरस्कार चयन समिति के पदेन सदस्य / सचिव होंगे।

8– पुरस्कारों की घोषणा –

पुरस्कार समिति द्वारा निर्णीत एवं चयनित पुरस्कारों की घोषणा पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष अथवा निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा तत्काल कर दी जायेगी।

9– संस्थान द्वारा प्रदान किये जाने वाले सम्मानों के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा पूर्व में बाल साहित्य भारती सम्मान से सम्मानित साहित्यकारों, ख्याति प्राप्त बाल साहित्यकार, समीक्षक, सम्पादक तथा हिन्दी बाल साहित्य की प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं / संस्थाओं से भी संस्तुतियाँ प्राप्त कर पुरस्कार चयन समिति द्वारा सम्मानों का निर्धारण किया जायेगा। पुरस्कार समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

10– सम्मान प्राप्त करने वाले बाल साहित्यकारों को अंगवस्त्र, प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार धनराशि दी जायेगी।

11– कार्यकारिणी समिति की संस्तुति से सम्मानों की धनराशि और संख्या में वृद्धि की जा सकेगी।

12– समस्त प्रकार के सम्मानों के लिए निर्धारित संस्तुति प्रपत्र के साथ संस्तुतिकर्ता का स्पष्ट नाम व पता दूरभाष सहित होना आवश्यक है तथा जिसके नाम की संस्तुति की जा रही है उसका जीवनवृत्त प्रपत्र के साथ संलग्न होना अनिवार्य है। एक संस्तुति प्रपत्र पर किसी एक साहित्यकार के नाम की संस्तुति ही मान्य होगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त संस्तुतियों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त संस्तुतियों में सम्मान हेतु की गयी संस्तुतियों का मूल्यांकन करने और उनमें श्रेणी निर्धारण करने का अधिकार पुरस्कार समिति का होगा। पुरस्कार समिति सर्वसम्मति से किसी साहित्यकार की प्राप्त संस्तुतियों में सम्मान की श्रेणी में परिवर्द्धन / संशोधन भी कर सकती है।

13– उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष दिये जाने वाले 'बाल साहित्य भारती सम्मान' से सम्मानित साहित्यकार इन पुरस्कारों की परिधि में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

14– उपर्युक्त सभी 10 सम्मान एक ही श्रेणी के माने जायेंगे जो साहित्यकार की दीर्घकालीन / आजीवन सेवा के लिए उन्हें इनमें से कोई एक पुरस्कार एक ही बार दिया जायेगा।

15– यदि नियमावली से सम्बन्धित या नियमावली के द्वारा दिये गये पुरस्कारों से सम्बन्धित कोई वाद विवाद की स्थिति अगर बनती है तो इसका न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

समाप्त